हमारा बिहार

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स +91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान

परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशा–निर्देश

बिहार राज्य में संपूर्ण मानव विकास को प्राप्त करने के लिए **मिशन मानव विकास** (एम0एम0भी0) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विशेष मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इस मिशन को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता व संबंधित विभागों के मंत्रियों के सदस्यता में केबिनेट उप कमेटी का दर्जा प्राप्त है। मिशन मानव विकास में मानव के सम्पूर्ण विकास हेतु कुल **23** मानव विकास के सूचकों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कुपोषण, एनीमिया, टी0एफ0आर0, आई0एम0आर0, एम0एम0आर, सुरक्षित पीने का पानी का प्रयोग, स्वच्छता, बाल विवाह पर रोक, सामाजिक असमानता एवं लिंग अनुपात में कमी, को शामिल किया गया है। बिहार सरकार द्वारा एम0एम0भी0 के अंतर्गत पोषण को दिए जा रहें विशेष महत्व के कारण राज्य पोषण नीति बनाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में बाल कुपोषण एक गम्भीर विषय है तथा सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य बाल कुपोषण की दर में कमी लाना है। मानव विकास मिशन अन्तर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2018 तक बाल कुपोषण की दर में **30%** तक की कमी की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सामाजिक संगठनो के साथ मिलकर आई.सी.डी.एस. के माध्यम से कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ चलायी जा रही है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 0–6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीक विकास एवं कुपोषण दूर करने हेतु विभाग का अहम भूमिका एवं दायित्व है।

मिशन मानव विकास के तहत **बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान** के सफल कार्यान्वयन हेतु **सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण** हेतु आरंभिक विस्तृत प्रशिक्षण योजना एवं दिशा–निर्देश तैयार किया गया है **:-**

1) सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलता हेतु आई.सी.डी.एस. द्वारा एन.एम.यू. सक्षम एवं आई.सी.डी.एस. के विभिन्न Development Partners (B-TAST, CARE-India, UNICEF) के सहयोग से एक **CORE TEAM** का गठन किया गया है एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के ससमय सफल संचालन हेतु रणनीति तैयार करते हुए प्रशिक्षण योजना तथा मार्गदर्शिका तैयार किया है।

2) CORE TEAM द्वारा एक **विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल** तैयार किया गया है।

3) **CORE TEAM** द्वारा **विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल** अनुसार राज्य स्तर पर 40 व्यक्तियों को **State Resource Persons** / मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
4) अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी** के लिए राज्य स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

5) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्तर पर प्रशिक्षित State Resource Persons/ मास्टर ट्रेनर राज्य के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा प्रत्येक परियोजना से एक–एक महिला पर्यवेक्षिका को **राज्य स्तरीय** दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण द्वारा **मास्टर ट्रेनर** के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

6) राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका अपने परियोजना के अन्तर्गत **शेष महिला पर्यवेक्षिकाओं** को एक batch में एक सप्ताह के अन्दर किसी दो दिवस को **परियोजना स्तर** पर प्रशिक्षित करेगें। इसके लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

7) राज्य स्तर पर **प्रशिक्षित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं** द्वारा **परियोजना स्तर** पर निर्गत **प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार** दिनांक 01.09.2014 से अपने–अपने